कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक 120 /2-6 देवरिया, दिनांक, जुलाई 10 /2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :— **जनपद—देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा देवरिया—कसया मार्ग (एस0एच—79) के कि0मी0 नं0—14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं0—908, ग्राम—कोन्हवलियॉ, प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षो/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या—4025/11—सी—एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/145661/2021 दिनांक 23.06.2023 एवं आपके कार्यालय के पृष्ठांकन पत्र संख्या—3067/2—6दिनांक 28.06.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में लगाई गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण/आख्या निम्न प्रकार है:—

1—भारत सरकार के आपत्ति संख्या—01 के निराकरण के कम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किये गये उल्लंघन के फलस्वरूप एच—2 केस प्रशमित प्रमाण—पत्र तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन भाग—2 के कमांक 11 में उल्लंघन का विवरण अपलोड कर दिया गया है।

2—भारत सरकार की आपत्ति संख्या—02 के निराकरण के कम में संलग्न किये गये प्राक्कलन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल 0.16 अंकित कर दिया गया है तथा सी0ए0 का क्षेत्रफल प्राक्कलन में संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।

3—प्रस्ताव में संलग्न पैनड्राईब में संशोधित क्षतिपूरक स्थल की के0एम0एल0 फाईल अपलोड कर दिया गया है तथा पी0डी0एफ0 फाईल पेनड्राईब में अपलोड कर संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण का संलग्नक चार प्रतियों में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

R. Jagdeesh

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:—मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

/DM.BABU